66/2017 भोला — जय चन्द

दिनांक	आज्ञा पत्र	
26-7-18	पत्रावली पेश। उभय पक्ष उप0। बहस प्रार्थना पत्र O41 R-27 CPC पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र O41 R-27 CPC के साथ प्रस्तुत दस्तावेज ऐसा दस्तावेज है जिसको रिकार्ड पर लिया जाना पर न्यायनिर्णय में सहायक हो सकता। अतः प्रार्थना पत्र O41 R-27 CPC स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिया जाता है। बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया, अदालत मातहत की आदेशिका का अवलोकन किया गया। आदेशिका दि0 27-3-2017 को प्रतिवादी/अपीलार्थी के वकील ने (No instruction plead) के वकील ने हिदायत पैरवी नहीं करने के लिये हिदायत पैरवी नहीं अपीलार्थी के दिया। अदालत मातहत को वकील द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना दर्ज किया है तो अदालत मातहत को चाहिये था कि अपीलार्थी/प्रतिवादी को नोटिस दिया जाना चाहिये था जैसा प्रस्तुत नजीर RRD-1984 पेज-171, RBJ (H.C.) 2014 पेज 308, AIR (SC) 1981 पेज-1400 -	

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	RRT 2010(2) पेज 1284, RRT 2015 (1) पेज -194, RRT 2014 (2) पेज - 881 में स्पष्ट किया। पत्रावली का अवलोकन एवं नजीरो का अवलोकन करने से स्पष्ट है। वकील के हिदायत पैरवी नहीं है तो इस स्थिति में पक्षकार को न्यायालय की ओर से सम्मन जारी करना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अंशतः स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का निर्णय एवं डिक्री दि० 25-4-2017 को खारिज किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारों ~~को~~ को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर अपना निर्णय पुनः पारित करें। पक्षकार अदालत मातहत में दि० 30/8/18 को उपस्थित होवें। निर्णय सुनाया गया।	
	(हस्ताक्षर)	
	[illegible] अधिकारी एवं पदेन [illegible] अपील अधिकारी सीकर	